

भारतीय करों का वर्गीकरण

Q.1

Dr. Shakti K. Kumar

Dep. of Economics

Meja Singh College Shimla

(Classification of Indian taxes)

वर्षों से एक विभाग कर सिद्धान्तों के बारे में अध्ययन किया गया है। अब हम करों के वर्गीकरण एवं करों के प्रकार के बारे में जानेंगे।

(1) एकल कर प्रणाली (Single tax system)

यदि पुराने विचारकों द्वारा अनेक वर्गीकरण पर एकल कर प्रणाली का जोरदार समर्थन किया जाता रहा है। इसके मुख्य दो बगैरे हैं पहला यह कि विचारक एक आधुनिक अर्थ-व्यवस्था की कार्यप्रणाली की गठितना से भयभीत थे, और दूसरा यह कि उनका कर आपस में केन्द्रिकरण सिद्धान्त में विश्वास था। उनके इस तर्क में किली आंग तक संकल्पनात्मक तथा विश्लेषणात्मक त्रुटियों का भी योगदान कुद्विगोचर होता है।

इस कर का आधार किली व्यक्ति का आय, समय अथवा किली जलविधि आदि न लोकर किली आदित्य मात होता है। इस कर प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति की कर देयता एक सामान होती है। इसमें केवल यह ही समझा है कि कुछ व्यक्तियों की कर मुक्त रखा जा सकता है।

(2) बहुविध कर प्रणाली (Multiple tax system)

यह एक प्रणाली है जिसमें सरकार द्वारा दो या दो से अधिक कर वसूले जा रहे हों। आमतौर पर किसी एक सरकार को ठीक पात्रा लागूग आसंग है किली कर प्रणाली में बहुत ही कर ना हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बहुविध कर प्रणाली विभिन्न प्रकार के करों से मिलती है।

विशेषगण लेनी है जो इसे 'आय कर सहायियों' से अलग करती है।

(3) प्रत्यक्ष कर (Direct tax)

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका आभार स्वीकारित न होकर आध्यात्मिक आर्थिक इकाइयों पर ही रिकामा रहे। प्रत्यक्ष करों के माध्यम में करदाताओं की सापेक्षिक दायित्व क्षमता का अनुमान लिखे गौर पर लगाया जाता है। इसलिए इससे अनुमान में गणनी होने की संभावना कम होती है। प्रत्यक्ष कर सक्षम गुणों तथा अवगुणों से युक्त है। आर्थिक विकास के साथ-साथ सरकार के कुल राजस्व में प्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यद्यपि के आधार पर अधिकतर प्रत्यक्ष कर प्रणालियाँ ही लेखना में सैद्धांतिक आदर्शों का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया जाता है। प्रत्येक सरकार अपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार योजित कर नीति का चयन करने को बाध्य होती है।

(4) मूल्यवर्धन कर (Value added tax)

मूल्यवर्धन कर एक ऐसा उत्पादन कर है, जो सर्वत्र वाजार के उत्पादन पर लगाया जाता है, और इस कारण एक विचाराधिन वस्तु की ~~विचारधिन~~ बाजार मूल्य में वृद्धि पर ही आँका जाता है। यह वस्तुपरक न होकर सर्वत्र मूल्यपरक होती है। मत्रासन्निक प्रवृत्ति के लिए किसी विचाराधिन वस्तु/सेवा पर मूल्यवर्धन कर अथवा एक से अधिक चरणों में लेने वाली मूल्यवृद्धि पर तब ही गानी है परिणाम स्वरूप इसकी वस्तुकी के चरण मिलने की हो। इसका कुल काराधार इसकी कुल कर देयता के अनुमानों में अंतर नहीं पड़ा। केवल वाजार मूल्य में वृद्धि पर आरोपित होने के कारण उपयोग के लिए उत्पादित 'मूल्य' अथवा उपभोगिता पर भुक्त रहते हैं।

(5) व्यय कर (Expenditure tax) व्यय कर का मुख्य स्वरूप वैयक्तिक उपभोग व्यय पर (Direct on personal consumption)

(3)

Expenditure का है (जिसमें कमी कमार होने वाले मोटे व्ययों जैसे कि आदी व्याह जैसी सामाजिक दानिविधियों तथा भ्रष्टाचार आदि के क्रम पर किए गये व्यय) की भेदों को शामिल न किए जाने की संभावना रही है। सामान्यतः व्यक्तिगत उपयोग व्यय का भंडार विवरण पर ध्यान न देते हुए कर लागू की कर हेतुता इसके "सकल" व्यय पर निर्धारित की जाती है।

व्यय कर व्यावसायिक उद्देश्यों पर भी आरोपित जा सकता है परन्तु ऐसा बहुत कम होता है। वैयक्तिक व्यय कर की शक्ति इसमें भी कुछ व्यय भेदों को कर मुक्त रखा जा सकता है। जैसे कि मोटे पूँजी व्यय, धन प्रत्यूही व्यय, तथा शून्य उत्पाद की भेद आदि।

(6) पूँजी लाभ कर (Capital Profit Tax)

पूँजी लाभ आश का ही एक प्रकार है। यह आय अनियमित तथा अनर्जित होती है। तथा इसका उद्दिष्ट परिसम्पत्तियों के मूल्य की क्रमों में वृद्धि के कारण होती है। परन्तु इस तद्विती वास्तविक सक्ति विचारधिन परिसम्पत्तियों के बेचने पर ही हो सकती है। अर्थात् पूँजी लाभ के उद्भव की कालावधि का संचार एक से अधिक वर्षों तक व्याप्त हो सकता है। इस प्रकार पूँजी लाभ की दो बुनियादी विशेषताएँ हैं। (1) गुच्छीकरण (Bunching) अर्थात् इसकी प्राप्ति किसी विशेष काल बिन्दु पर केन्द्रित होना तथा दूसरा इसकी उत्पत्ति का एक से अधिक वर्षों की कालावधि पर फैलाना।

